जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया,
Jananayak Chandrashekhar University, Ballia,

पत्रांक– जे0एन0सी0यू0 / आर0कैम्प (सा0प्र0) / 370 / 2019 दिनांकः 29 अप्रैल, 2019

सेवा में,

प्रबन्धक,
श्री रामकरण पी0 जी0 कालेज,
भीमपुरा न0–1, बलिया

विषयः– **जॉच समिति हेतु अभिलेख उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत पत्र दिनांकः 02.04.2019 एवं 09.04.2019 के अनुपालन में आप द्वारा प्रेषित पत्रावली दिनांकः 15.04.2019 का परिशीलन किया गया। आपके द्वारा प्रेषित पत्रावली से निम्न तथ्य स्पष्ट नही हो पा रहें हैः–

1. बी0एस0–सी0 कृषि प्रथम वर्ष में आप द्वारा 89 छात्र / छात्राओं के प्रवेश सम्बन्धी प्रमाण पत्रों की छायाप्रति प्रेषित की गयी परन्तु किसी भी अभिलेख को आप द्वारा सत्यापित नही किया गया है। साथ ही छात्र संजय कुमार यादव, सपना कुमारी, विपिन कुमार गुप्ता एवं अनन्या सिंह के हाई स्कूल के प्रमाण पत्र उपलब्ध नही है, इसी तरह छात्र रानी कुमारी एवं आयुष प्रताप सिंह की इण्टरमीडिएट की अंक तालिका संलग्न नही है।
2. उक्त पाठ्यक्रम में प्रवेश के समय उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित आरक्षण नीति का अनुपालन आप द्वारा किया गया अथवा नही। यदि किया गया तो 89 छात्र / छात्राओं में से कितने छात्र अनुसुचित जाति, जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग एवं अनारक्षित वर्ग से हैं। इसका ब्रेकप उपलब्ध कराया जाये।
3. विश्वविद्यालय द्वारा उक्त पाठ्यक्रम हेतु 16 शिक्षक अनुमोदित किये गये थे जिनमें से मात्र 08 शिक्षकों के शपथ पत्र एवं सविदा पत्र आप द्वारा उपलब्ध कराये गये है। इस प्रकार 08 शिक्षकों के विरूद्ध 60 छात्र / छात्राओं के प्रवेश लिये जाने चाहिये थें जबकि आप द्वारा 89 छात्र / छात्राओं के प्रवेश लिये गयें। स्पष्ट करें।
4. विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत पत्र दिनांकः 02.04.2019 के बिन्दु (iii) में आपसे अपेक्षा की गयी थी कि कुल आय का 75 प्रतिशत अंश शिक्षकों को वेतन के रूप में दिया जाना है तथा शिक्षकों का बैक स्टेटमेंट की प्रति उपलब्ध करायें परन्तु आप द्वारा ना तो कुल आय का उल्लेख किया गया है और ना ही बैंक स्टेटमेंट प्रेषित किया गया है, जो उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्याः 968 / सत्तर–2–2013–18(99) / 2013, दिनांकः 30 मई, 2013 एवं सख्याः 126 / सत्तर–2–2019–18(31) / 2018, दिनांकः 28 फरवरी, 2019 का खुला उल्लघंन है। स्पष्ट करें।

Scanned with CamScanner

5. आपके द्वारा प्रेषित बिन्दु (V) के अनुसार शिक्षण कार्य दिनांकः 12.09.2018 से प्रारम्भ किया गया जबकि प्रबन्ध तन्त्र एवं शिक्षको के मध्य सविदा दिनांकः 17.10.2018 को सम्पन्न हुयी तथा दिनांकः 17.10.2018 से ही प्रभावी हुयी। स्पष्ट करें।
6. प्रत्येक छात्र के प्रवेश का दिनांक एवं लिये गये शुल्क की रसीद की प्रमाणित प्रति की अपेक्षा की गयी थी जो उपलब्ध नहीं करायी गयी।

तद्नुसार निर्देशित किया जाता है कि उक्त वांछित अभिलेख/साक्ष्य/स्पष्टीकरण दो कार्य दिवस में अघोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित समय सीमा में वाछित अभिलेख उपलब्ध न कराने की स्थिति में जॉच समिति द्वारा गुण–दोष के आधार पर जॉच का निस्तारण कर दिया जायेगां।

भवदीय,

21/5

(महेश कुमार)
उप कुलसचिव
सचिव, जॉच समिति

Scanned with CamScanner